

लोकप्राधिकरणों (Public Authority) के लिये मार्गदर्शिका

लोक प्राधिकरण (**Public Authority**) ऐसी सूचनाओं का भण्डार होते हैं, जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त करना नागरिकों का अधिकार है। अधिनियम के अनुसार लोक प्राधिकरण (**Public Authority**) का अर्थ ऐसा प्राधिकरण या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था है, जो संविधान द्वारा या उसके अधीन बनाया गया हो, या संसद या किसी राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा बनाया गया हो, या केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किये गये आदेश द्वारा स्थापित या गठित किया गया हो। केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या आंतरिक रूप से वित्तपोषित निकाय और केन्द्र सरकार या किसी राज्य द्वारा वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठन भी लोक प्राधिकरण (**Public Authority**) की परिभाषा में आते हैं। सरकार द्वारा किसी निकाय या गैर-सरकारी संगठन का वित्तपोषण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हो सकता है।

2- अधिनियम ने लोक प्राधिकरणों के लिये कुछ महत्वपूर्ण दायित्व निर्धारित किये हैं। लोक प्राधिकरणों (**Public Authority**) के नियंत्रणाधीन सूचनाओं तक नागरिकों की पहुँच को आसान बनाने के उद्देश्य से किसी लोक प्राधिकरण के दायित्व वास्तव में प्राधिकरण के मुखिया के दायित्व हैं। लोक प्राधिकरण (**Public Authority**) के मुखिया के द्वारा यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि इन दायित्वों का पूरी गम्भीरता से पालन हो। इस दस्तावेज में लोक प्राधिकरण का आशय वास्तव में लोक प्राधिकरण के मुखिया से ही है।

सूचना क्या है

3- किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री सूचना है। इसमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, ऑकड़ों सम्बन्धी सामग्री शामिल हैं। इसमें किसी निजी निकाय से सम्बन्धित ऐसी सूचना भी शामिल है जिसे लोक प्राधिकरण तत्समय लागू किसी कानून के अन्तर्गत प्राप्त कर सकता है।

अधिनियम के अन्तर्गत सूचना का अधिकार

4- किसी नागरिक को किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना माँगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकरण (**Public Authority**) के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में उपलब्ध है। इस अधिकार में लोक प्राधिकरण के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृत दस्तावेजों तथा रिकार्डों का निरीक्षण, दस्तावेजों या रिकार्डों के नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियों प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना शामिल है।

5- अधिनियम नागरिकों को संसद-सदस्यों और राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के बराबर सूचना का अधिकार प्रदान करता है। अधिनियम के अनुसार ऐसी सूचना, जिसे संसद अथवा राज्य विधान मण्डल को देने से इनकार नहीं किया जा सकता, उसे किसी व्यक्ति को देने से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

6— नागरिकों को डिस्क्रेट्स, फ्लापी ,टेप , वीडियो कैसेट या किसी अन्य इलेक्ट्रानिक रूप में अथवा प्रिन्ट आउट के रूप में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है , बशर्ते कि माँगी गई सूचना कम्प्यूटर में या अन्य किसी युक्त में पहले से सुरक्षित है, जिससे उसे डिस्क्रेट आदि में स्थानान्तरित किया जा सके ।

7— आवेदक को सूचना सामान्यतः उसी रूप प्रदान की जानी चाहिये, जिसमें वह माँगता है । तथापि, यदि किसी विशेष स्वरूप में माँगी गई सूचना की आपूर्ति से लोक प्राधिकरण के संसाधनों का अनपेक्षित ढंग से विचलन होता है या इससे रिकार्डों के परिरक्षण में कोई हानि की सम्भावना होती है, तो उस रूप में सूचना देने से मना किया जा सकता है ।

8— अधिनियम के अन्तर्गत सूचना का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। अधिनियम में नियम, संघ, कम्पनी आदि को , जो वैध हस्तियों/ व्यक्तियों की परिभाषा के अन्तर्गत तो आते हैं, किन्तु नागरिक की परिभाषा में नहीं आते, को सूचना देने का कोई प्रावधान नहीं है । फिर भी, यदि किसी निगम, संघ, कम्पनी , गैरसरकारी संगठन आदि के किसी ऐसे कर्मचारी या अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जाता है, जो भारत का नागरिक है, तो उसे सूचना दी जायेगी, बशर्ते वह अपना नाम इंगित करे । ऐसे मामले में, यह प्रकल्पित होगा कि एक नागरिक द्वारा निगम आदि के पते पर सूचना माँगी गई है ।

9— अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्रदान करना अपेक्षित है, जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है अथवा उसके नियंत्रण में है । जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना, या सूचना की व्याख्या करना, या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना, या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है ।

प्रकटीकरण से छूट प्राप्त सूचना

10— इस अधिनियम की धारा -8 की उप-धारा (1) और धारा 9 में सूचना की ऐसी श्रेणियों का विवरण दिया गया है, जिन्हें प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है । फिर भी, धारा 8 की उप-धारा (2) में यह प्रावधान है कि उप-धारा (1) के अन्तर्गत छूट प्राप्त अथवा शासकीय गोपनीय अधिनियम 1923 के अन्तर्गत छूट प्राप्त सूचना का प्रकटीकरण किया जा सकता है यदि प्रकटीकरण से, संरक्षित हित को होने वाले नुकसान की अपेक्षा वृहत्तर लोक हित सधता हो । इसके अलावा धारा 8 की उप-धारा (3) में यह प्रावधान है कि उप-धारा (1) के खण्ड-(क), (ग) और (झ) में उपबन्धित सूचना के सिवाय उस उप -धारा के अन्तर्गत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त सूचना, सम्बद्ध घटना के घटित होने की तारीख के 20 वर्ष बाद प्रकटीकरण से मुक्त नहीं रहेगी ।

11— स्मरणीय है कि अधिनियम की धारा 8(3) के अनुसार लोक प्राधिकरणों से यह अपेक्षा नहीं की गई है कि वे अभिलेखों को अनन्त काल तक सुरक्षित रखें । लोक प्राधिकरण को प्राधिकरण में लागू अभिलेख धारण अनुसूची के अनुसार ही अभिलेखों को संरक्षित रखना चाहिये । किसी फाइल में सृजित जानकारी फाइल/अभिलेख के नष्ट हो जाने के बाद भी कार्यालय ज्ञापन अथवा पत्र अथवा किसी भी अन्य रूप में मौजूद रह सकती है । अधिनियम के अनुसार यह अपेक्षित है कि धारा 8 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत-प्रकटन से छूट प्राप्त होने के बावजूद भी 20 वर्ष बाद इस प्रकार उपलब्ध जानकारी उपलब्ध करा दी जाये । अर्थ यह है कि ऐसी जानकारी जिसे सामान्य रूप से अधिनियम की 8 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत छूट प्राप्त है, जानकारी से सम्बन्धित घटना के घटित होने के 20 वर्ष बाद ऐसी छूट से मुक्त हो जायेगी । तथापि, निम्नलिखित प्रकार की

जानकारी के लिये प्रकटन से छूट जारी रहेगी और 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी ऐसी जानकारी को किसी नागरिक को देना बाध्यकारी नहीं होगा—

- (1) ऐसी जानकारी जिसके प्रकटन से भारत की संप्रभुता और अखण्डता, राष्ट्र की सुरक्षा, सामरिक, वैज्ञानिक और आर्थिक हित, विदेश के साथ सम्बन्ध प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती हो अथवा किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो,
- (2) ऐसी जानकारी जिसके प्रकटन से विधान मण्डल के विशेषाधिकार की अवहेलना होती हो, अथवा
- (3) अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के खण्ड (झ) के प्रावधान में दी गई शर्तों के अधीन मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श सहित मंत्रिमण्डलीय दस्तावेज ।

सूचना की समयबद्ध आपूर्ति

12— अधिनियम के अनुसार यह आदेशित है कि कुछेक विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सूचना के लिये प्राप्त आवेदन पत्र अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर निर्णय दे दिया जाय । जहाँ माँगी गई सूचना का सम्बन्ध व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से हो, तो सूचना अनुरोध प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर उपलब्ध करा देनी चाहिये । यदि सूचना के अनुरोध पर निर्णय निर्धारित अवधि के अन्दर नहीं दिया जाता है, तो यह समझा जायेगा कि अनुरोध को नामंजूर कर दिया गया है । यदि लोक प्राधिकरण निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है तो सम्बन्धित आवेदक को सूचना मुफ्त उपलब्ध कराई जायेगी ।

सूचना का अधिकार का अध्यारोही प्रभाव होना

13— सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबन्ध, शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 और तत्समय प्रभावी किसी अन्य कानून में ऐसे प्रावधान, जो सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों, से असंगत है, की स्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे ।

रिकार्डों का रख-रखाव और कम्प्यूटरीकरण

14— अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिये रिकार्डों का समुचित प्रबन्धन बहुत ही महत्वपूर्ण है । इसलिये लोक प्राधिकरणों को अपने सभी रिकार्ड ठीक तरह से रखने चाहिए । उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके सभी रिकार्ड सम्यक रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध हो, ताकि सूचना के अधिकार को सुकर बनाया जा सके ।

15—लोक प्राधिकरणों (**Public Authority**)को कम्प्यूटरीकृत करने योग्य सभी रिकार्डों को कम्प्यूटरीकृत करके रखना चाहिए । इस तरह कम्प्यूटरीकृत किये गये रिकार्डों को विभिन्न प्रणालियों पर नेटवर्क के माध्यम से जोड़ देना चाहिए ताकि ऐसे रिकार्डों तक पहुँच को सुकर बनाया जा सके ।

स्वतः प्रकटन (Suo Motu Disclosure)

16— प्रत्येक लोक प्राधिकरण (**Public Authority**) से अपेक्षित है कि वह लोगों को सम्प्रेषण के विभिन्न माध्यम से अधिक सूचना मुहैया कराए ताकि लोगो को सूचना प्राप्त करने के लिए

अधिनियम का कम से कम प्रयोग करना पड़े। इन्टरनेट सम्प्रेषण के सबसे प्रभावी साधनों में से एक है। अतः लोक प्राधिकरणों को अधिक से अधिक सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध होनी चाहिए।

17— अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) के अनुसार सभी लोकप्राधिकरणों से यह अपेक्षित है कि वह सूचना की निम्नलिखित 16 श्रेणियों को विशेष रूप से मैन्युअल के रूप में प्रकाशित कर वेबसाइट पर अपलोड करें:—

- 1— अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य,
- 2— अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य ,
- 3— विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।
- 4— अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान,
- 5— अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम , विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख ,
- 6— ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये हैं अथवा उनके नियंत्रण में हैं,
- 7— किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान हैं,
- 8— बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हो और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिये की गई हो, और यह विवरण की क्या इन बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिये खुली है , अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिये सुलभ है ,
- 9— अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका ,
- 10— अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा विनियमों में यथा उपलब्ध क्षतिपूर्ति की प्रणाली सहित प्राप्त किया गया मासिक पारिश्रमिक,
- 11— सभी योजनाओं, प्रस्तावित परिव्यय और किये गये आहरणों सम्बन्धी रिपोर्ट सामग्री को दर्शाते हुये इसके प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट,
- 12— आवंटित राशि सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का ढंग और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का ब्यौरा ,
- 13— अपने द्वारा मंजूर की गई रियायत, अनुज्ञा पत्र या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण ,
- 14— अपने पास इलेक्ट्रानिक रूप से उपलब्ध अथवा धारित की गई सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरा ,
- 15— सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं के ब्योरे, जिनमें जनसाधारण के लिये उपलब्ध पुस्तकालय या वाचनकक्ष के ब्योरे भी सम्मिलित हों,
- 16— जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ ,

18— लोक प्राधिकरण (**Public Authority**) प्रकाशन के लिये उक्त सूचना श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य श्रेणी भी निर्धारित कर सकती है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऊपर संदर्भित सूचना का प्रकाशन वैकल्पिक नहीं है। यह एक कानूनी आवश्यकता है, जिसे पूरा करना प्रत्येक लोक प्राधिकरण के लिये जरूरी है।

19— स्मरणीय है कि उक्त सूचनाओं का एक बार प्रकाशन कर देना पर्याप्त नहीं है। लोक प्राधिकरण को इन सूचनाओं को प्रत्येक वर्ष अद्यतन करते रहना चाहिये। जैसे ही सूचना में कोई परिवर्तन हो इसे अद्यतन कर दिया जाना चाहिये। विशेषकर इन्टरनेट पर सूचना हर समय अद्यतन रखी जानी चाहिये।

सूचना का प्रचार-प्रसार

20- लोक प्राधिकरणों से यह अपेक्षित है कि वे सूचनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करें । प्रचार-प्रसार इस प्रकार से होना चाहिये कि यह लोगों तक आसानी से पहुँच जाये । ऐसा नोटिस बोर्डों, समाचार पत्रों लोक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारण , इन्टरनेट अथवा किसी अन्य साधनों के माध्यम से किया जा सकता है । लोक प्राधिकरण को सूचना का प्रचार-प्रसार करते समय लागत प्रभावकारिता, स्थानीय भाषा और सम्प्रेषण के प्रभावी तरीकों का ध्यान रखना चाहिये ।

नीतियों और निर्णयों के बारे में तथ्यों का प्रकाशन

21- लोक प्राधिकरण (**Public Authority**) समय-समय पर नीति निर्धारण और निर्णय लेने का कार्य करते रहते हैं । अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार महत्वपूर्ण नीति निर्धारण करते समय अथवा लोगों को प्रभावित करने वाले निर्णयों की घोषणा करते समय लोक प्राधिकरण को चाहिये कि वह ऐसी नीतियों और निर्णयों के बारे में आम लोगों के लिये सभी सम्बद्ध तथ्यों का प्रकाशन करें ।

निर्णयों के कारण उपलब्ध कराना

22- लोक प्राधिकरण (**Public Authority**) को समय-समय पर लोगों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक और न्यायिक निर्णय लेने होते हैं । सम्बंधित लोक प्राधिकरण के लिये यह बाध्यकारी है कि वह प्रभावित लोगों को ऐसे निर्णयों के कारण बतायें इसके लिये सम्प्रेषण के समुचित माध्यम का प्रयोग किया जाना चाहिये ।

जन सूचना अधिकारियों आदि को नामित करना

23- प्रत्येक लोक प्राधिकरण (**Public Authority**) को अपने अधीनस्थ सभी प्रशासनिक एककों तथा कार्यालयों में जन सूचना अधिकारी नामित करने होते हैं । उन्हें प्रथम अपीलीय प्राधिकारी भी नामित करने चाहिये और उनका विवरण जन सूचना अधिकारियों के विवरण के साथ ही प्रकाशित कर देना चाहिये । प्रत्येक लोक प्राधिकरण (**Public Authority**) से प्रत्येक उप-प्रभागीय स्तर पर सहायक जन सूचना अधिकारियों को नामित करना भी अपेक्षित है ।

शुल्क की प्राप्ति

24- यथा संशोधित सूचना का अधिकार (शुल्क एवं लागत विनियम) नियमावली 2006 के अनुसार सूचना के लिए प्रार्थना पत्र करने वाला कोई भी व्यक्ति देय शुल्क का भुगतान लोक प्राधिकरण के लेखाधिकारी को रोकड़ में या डिमान्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक अथवा भारतीय डाक आदेश द्वारा कर सकता है । लोक प्राधिकरण के लिए यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि शुल्क के भुगतान के उक्त तरीकों में से किसी को भी मना नहीं किया जाये । सूचना के अधिकार अधिनियम अथवा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत शुल्क प्राप्त करने के प्रयोजन से किसी अधिकारी को नामित कर देना चाहिए ।

आवेदन का अन्तरण

25— अधिनियम में प्रावधान है कि यदि किसी लोक प्राधिकरण (**Public Authority**) से किसी ऐसी सूचना के लिए आवेदन किया जाता है जो किसी अन्य लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है, अथवा जिसकी विषय-वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकरण के कार्यों से अधिक सम्बद्ध है, तो आवेदन प्राप्त करने वाले लोक प्राधिकरण को आवेदन अथवा उसके संगत भाग को आवेदन की प्राप्ति के पाँच दिन के भीतर सम्बद्ध लोक प्राधिकरण को आन्तरित कर देना चाहिए। लोक प्राधिकरणों को चाहिए कि वे अपने प्रत्येक अधिकारी को अधिनियम के इस प्रावधान के बारे में सम्बेदनशील बनायें ताकि ऐसा न हो कि देरी के लिए आवेदन प्राप्त करने वाले लोक प्राधिकरण को जिम्मेवार ठहरा दिया जाये।

राज्य सूचना आयोग के आदेशों का अनुपालन

26— किसी अपील पर निर्णय लेते हुए राज्य सूचना आयोग, सम्बन्धित लोक प्राधिकारी से कुछ ऐसे कदम उठाने की अपेक्षा कर सकता है जो अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों। आयोग किसी विशेष फार्म में किसी आवेदन को सूचना उपलब्ध कराने, अभिलेखों का रख-रखाव, प्रबन्धन और क्षति सम्बन्धित अभिक्रियाओं में आवश्यक बदलाव करने, पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के प्रावधान को विस्तार देने, अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुपालन में तैयार की गयी वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराने का आदेश पास कर सकता है।

27— आयोग को यह शक्ति प्राप्त है कि वह सम्बद्ध लोक प्राधिकरण (**Public Authority**) को शिकायतकर्ता को, उसके द्वारा भोगी गयी किसी हानि अथवा अन्य नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए आदेश पारित करें, आयोग को लोक सूचना अधिकारी पर अधिनियम में दी गयी शास्ति लगाने की भी शक्ति प्राप्त है। स्मरणीय है कि शास्ति जनसूचना अधिकारी पर अधिरोपित की जाती है जिसका भुगतान उसे ही करना होता है। तथापि, आयोग के आदेश पर किसी आवेदक को भुगतान की जाने वाली क्षतिपूर्ति का भुगतान लोक प्राधिकरण द्वारा किया जाना होगा।

28— आयोग के निर्णय बाध्यकारी हैं। लोक प्राधिकरण (**Public Authority**) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आयोग द्वारा पारित आदेश कार्यान्वित हों। यदि लोक प्राधिकरण के मतानुसार आयोग का कोई आदेश अधिनियम के अनुरूप न हो, तो वह आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिट याचिका या अपील दाखिल कर सकता है।

राज्य सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट

29— राज्य सूचना आयोग से, प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के पश्चात उस वर्ष के दौरान अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन सम्बन्धी एक रिपोर्ट तैयार करना अपेक्षित है। प्रत्येक विभाग से अपेक्षित है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले लोक प्राधिकरणों से रिपोर्ट तैयार करने हेतु सूचना एकत्र करें और उसे राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध करायें। आयोग की रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ सम्बद्ध वर्ष के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाएं समाविष्ट होती हैं:—

(क) प्रत्येक लोक प्राधिकरण से किये गये अनुरोधों की संख्या:

- (ख) ऐसे निर्णयों की संख्या, जहाँ आवेदक अनुरोध किये गये दस्तावेजों को प्राप्त करने के हकदार नहीं थे। अधिनियम के प्रावधान जिनके अधीन यह निर्णय किये गये और उन अवसरों की संख्या, जहाँ ऐसे प्रावधानों का प्रयोग किया गया,
- (ग) अधिनियम को लागू करने के सम्बन्ध में अधिकारियों के विरुद्ध की गयी अनुशासनिक कार्यवाही के ब्यौरे,
- (घ) अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकरण द्वारा एकत्र प्रभारों की राशि और
- (ङ) ऐसे तथ्य जो अधिनियम के भाव और अभिप्राय को प्रशासित और कार्यान्वित करने हेतु लोक प्राधिकरणों द्वारा किये गये किसी प्रयास को दर्शायें।

30— प्रत्येक लोक प्राधिकरण को वर्ष की समाप्ति के तुरन्त बाद आवश्यक सामग्री अपने प्रशासकीय विभाग को भेज देनी चाहिए ताकि विभाग उसे सूचना आयोग को भेज सके और आयोग इसे अपनी रिपोर्ट में शामिल कर सके।

31— यदि राज्य सूचना आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि किसी लोक प्राधिकरण की कोई प्रक्रिया अधिनियम के प्रावधानों अथवा अभिप्राय के अनुरूप नहीं है, तो वह प्राधिकरण से ऐसे कदम उठाने की अनुशंसा कर सकता है जिससे प्रक्रिया अधिनियम के अनुरूप हो जाये। लोक प्राधिकरण को चाहिए कि वह अपनी अभिक्रिया को अधिनियम के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे।

कार्यक्रम इत्यादि का विकास

32— प्रत्येक प्राधिकरण से आशा की जाती है कि वह जनता, विशेषकर अलाभान्वित जनता की अधिनियम में अपेक्षित अधिकारों का प्रयोग करने से सम्बन्धित समझदारी बढ़ाने के लिए शैक्षणिक कार्यक्रमों का विकास और आयोजन करेगा। उनसे अपनी गतिविधियों के बारे में सटीक सूचना के यथासमय और प्रभावी प्रसार को सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है। इन आकांक्षाओं को पूरा करने और अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए लोक प्राधिकरण के जनसूचना अधिकारियों और अन्य अधिकारियों का प्रशिक्षण अति आवश्यक है। अतः लोक प्राधिकरण को चाहिए कि वह अपने जन सूचना अधिकारी / प्रथम अपीलीय प्राधिकरी तथा अन्य अधिकारियों, जो अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हों, के प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था करें।
